

अधिकारों के वर्गीकरण का सिद्धांत

1. अधिकार क्या है। (What are rights)

जब हम व्यक्ति और राज्य के परस्पर संबंध पर विचार करते हैं। तब बात सामने आती है। एक व्यक्ति को राज्य से क्या-क्या प्राप्त होना चाहिए, ये उसके अधिकार हैं। दूसरे व्यक्ति को राज्य के लिए क्या-क्या करना चाहिए, ये उसके कर्तव्य (Duties) हैं। अधिकार राज्य के अंतर्गत व्यक्ति को प्राप्त होने वाली ऐसी अनुकूल परिस्थितियां और अवसर हैं। जिनसे उसे आत्म-विकास में सहायता मिलती है।

हेरल्ड जे. मास्की के अनुसार, अधिकार सामाजिक

जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना आम तौर पर कोई व्यक्ति पूर्ण आत्म-विकास की आशा नहीं कर सकता।

कानूनी अधिकारों के सिद्धांत (Theory of legal rights)

इस सिद्धांत के अनुसार, अधिकार राज्य की देन हैं। कानून के विधि-निर्देश ही अधिकार और अनधिकार का परिभाषा है।

ऐतिहासिक अधिकारों का सिद्धांत (Theory of historical rights)

इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार इतिहास की देन हैं। जब रीति-रिवाज लंबे-चलन के बाद स्थिर हो जाते हैं। तब अधिकारों का जन्म होता है। उदाहरण के लिए पति-पत्नी का एक दूसरे पर क्या-क्या अधिकार हैं।

इस सिद्धांत का मुख्य भ्रूति यह है कि यह अधिकारों को चर्चा करते समय उचित, अनुचित (Right and Wrong) के प्रश्न को परे रख देता है।

अधिकारों का नैतिक आधार

(Moral Foundations of rights)

वी. रच. ग्रीन (1836-82) के पद-विधियों पर चर्चा हुई। मास्की ने अधिकारों के नैतिक आधार की प्रति की है।

उसने यह स्वीकार किया है कि अधिकार राज्य की देन नहीं है बल्कि उनका स्थान राज्य की सत्ता (Authority) से ऊंचा है परंतु पूंजीवादी व्यवस्था की प्रवृत्तियों का वर्णन करते हुए मास्की ग्रीन से बहुत भाग्य बढ गया है।

अधिकार इस अर्थ में ऐतिहासिक नहीं है कि उन्हें किसी भुजा-विशेष में मन्थता प्राप्त हुई है। परंतु यह इस अर्थ में ऐतिहासिक आवश्यक है कि समाज ने अपने विकास के किसी स्तर पर उनकी मांग की है।

जब अधिकार नैतिक आधार पर स्थापित किए जाते हैं। तब यह आवश्यक हो जाता है कि उनके साथ कर्तव्य भी जुड़े हैं।

अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। मास्की के शब्दों में मुझे दूसरों के आक्रमण से रक्षा प्रदान करने का अधिकार यह है कि मैं भी अपने अधिकार दूसरों पर आक्रमण करने से रोकूँ।

संपत्ति के अधिकार (Right to Property)

मास्की ने इस शर्त पर स्वीकार किया है कि वह सर्व-हित में बाधक न हो और व्यक्ति को अपने कर्तव्यपालन में सहायता दे। जहाँ संपत्ति दूसरों के उपर शक्ति के प्रयोग का साधन बन जाए, वहाँ इस अधिकार को समाप्त कर देना चाहिए।